न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1070 सन 2026
CNR. No.UPSP01003234 2026

1.दईयान पुत्र ताहिर हसन
2.उजैर पुत्र ताहिर हसन
निवासीगण ग्राम महमूदपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु0अ0सं0–29/2026,
धारा–191(2),109(1),351(2)बी0एन0एस0
<u>थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।</u>

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

16.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **दईयान एवं उजैर** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 11.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त की ओर से मौ0 जुलफिकार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया लाल्ली द्वारा थाना मिर्जापुर सहारनपुर पर विपक्षीगण लुकमान, असद, नौमान, गुफरान, अदनान, दईयान, उजैर व अबुजर के विरूद्ध इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि विपक्षीगण के खेत की मेढ उनके खेत से मिली हुई है, जिसको लेकर विपक्षीगण वादिया के परिवार वालो के साथ झगडा फिसाद करते रहते है तथा इस कारण वह वादिया के परिवार से रंजिश रखते है। इसी रंजिश के कारण दिनांक 04.02.2026 को समय करीब 01:30 बजे जब वादिया के पति अलीशान, उसके भाई आलिम व इरफान अपने खेत पर मौजूद थे तभी उपरोक्त विपक्षीगण अपने अपने हाथो में धारदार हथियार लेकर पहुॅचे तथा विपक्षीगण ने वादिया के पति व उसके भाईयो को पर जान से मारने की नीयत से अपने अपने हाथो में लिए हथियारो से मारपीट करना शुरू कर दिया। शोर पर गॉव के इसरार, शोएब आदि लोकग आये जिन्होने वादिया के परिवार वालो को विपक्षीगण से बचाया। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। वादिया के पति व उनके भाईयो को गम्भीर चोटे आयी है। वादिया के पति व उनके भाईयो को चिकित्सीय परीक्षण पुलिस द्वारा कराया गया है।

वादिया मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना मिर्जापुर पर विपक्षी अदनान व 07 अन्य विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–29/2026 धारा–191(2),109(1),351(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वह निर्दोष है। अभियुक्त द्वारा किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है और न ही किसी धारदार हथियार से किसी पर कोई जानलेवा हमला किया गया है। वास्तविकता यह है कि पक्षकारो के मध्य खेत की मेढ को लेकर विवाद है। आवेदक/अभियुक्त खेत पर पहले से मौजूद था, आवेदक के साथ अलीशान, आलिम व इरफान द्वारा मारपीट व गाली गलोच की गयी थी और उक्त घटना में आवेदक/अभियुक्त को चोटे आयी थी, किन्तु थाना पुलिस द्वारा वादी से मिलकर आवेदक/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण का चिकित्सीय परीक्षण कराये बिना ही उन्हे इस मामले में आलिप्त कर दिया है।

अभियुक्तगण द्वारा स्वॅय इस मामले में आत्मसमर्पण कर वह दिनांक 11.03.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्तगण पूर्व से सजा याफता नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण को इस मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाना से प्राप्त केस डायरी एवं आख्या का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले आवेदक/अभियुक्तगण व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर वादिया के पति व उसके पति के भाईयो के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट कर उन्हे प्राणघातक उपहति कारित करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना में अलीशन, ईरफान व आलिम को चोटे आना अभिकथित है। केस डायरी पर उपलब्ध **आलिम** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके शरीर पर कुल चार चोटे आना, जिसमे से चोट सं0–1 सिर के बायी तरफ खोपडी पर सामने की ओर लेस्रेटिड वून्ड के रूप में, चोट सं0–2 होठ पर बायी तरफ लेस्रेटिन्ड वून्ड के रूप में, चोट सं0–3 बायी बाजू पर कन्टयूजन के रूप में, चोट सं0–4 दायी बाजू पर कन्टयूजन के रूप में दायी कोहनी के जोड के नीचे पाया जाना अभिलिखित है। आहत की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसकी चोट सं0–1 को जेरे निगरानी रखा जाना अभिलिखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसकी चोट सं0–1 में फ्रन्टल बॉन का फ्रैक्चर पाया जाना तथा आहत की उक्त चोट को उसके जीवन के लिए प्राणा घातक होना अभिलिखित है। केस डायरी पर उपलब्ध **आहत ईरफान** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर कुल चार चोटे आना जिनमे से चोट सं0–1 खोपडी पर बायी आई–ब्रो के ऊपर लेस्रेटिड वून्ड के रूप में, चोट सं0–2 दाये कन्धे के जोड पर कन्टयूजन के रूप में, चोट सं0–3 दाये कन्धे पर पीछे की ओर ट्रामेटिक स्वेलिंग के रूप में चोट सं0–4 दायी लिटिल फिंगर पर एर्बेजन के रूप में आना, आहत की चोट सं0–1 व 2 को जेरे निगरानी रखा जाना अभिलिखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत की चोट सं0–1 व 2 में कोई फ्रेक्चर न पाये जाने के कारण आहत की उक्त दोनो चोटे साधारण प्रकृति का होना अभिलिखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत **अलीशान** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर कुल चार चोटे आना, जिनमे से चोट सं0–1 खोपडी पर दाये कॉन के ऊपर लेस्रेटिड वून्ड के रूप में, चोट सं0–2 खेपडी पर बाये कान के ऊपर ट्रामेटिक स्वेलिंग के रूप में, चोट सं0–3 बाये अंगूठे पर ट्रामेटिक स्वेलिंग के रूप में, चोट सं0–4 बाये पैर की लिटिल फिंगर पर कन्टयूजन के रूप में पाया जाना, आहत की चोट सं0–1,2,3 को जेरे निगरानी रखा जाना अभिलिखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसकी चोट सं0–1,2 व 3 में कोई फ्रेक्चर न पाये जाने के कारण उसकी उक्त चोटो को साधारण प्रकृति का होना अभिलिखित है। केस डायरी के अनुसार दौरान विवेचना दिनांक 05.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर सह अभियुक्त अदनान को गिरफतार किये जाते समय उसके सिर पर खून आलूदा चोट व दाहिने हाथ की कोहनी पर खूरचन लगी चोट होना अभिलिखित है। उक्त सन्दर्भ में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि घटना में वादी पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के लोगो को चोट आयी थी परन्तु पुलिस द्वारा अभियुक्त पक्ष की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा इस मामले में स्वॅय दिनांक 11.03.2026 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर वह न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास होना अभिकथित नहीं है। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्त अदनान की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2026 को स्वीकार की जा चुकी है।

अतः उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण दईयान एवं उजैर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन चालीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उन्हे निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान मुकदमा जमानत पर अवमुक्त किया जाये–

1.मामले के प्रत्येक सुनवाई पर प्रार्थी/अभियुक्तगण स्वॅय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।

2.आवेदक/अभियुक्तगण आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–351बी0 एन0 एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

3.साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

4.अभियुक्तगण साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगे।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।
I.D.UP-1891

दिनांक 16.03.2026